न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :–गजानन्द बनाम राजस्थान आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 61/2025

निर्णय दिनांक :– 04-11-2025

गजानन्द पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसिलदार राजस्व तारानगर तहसील तारानगर जिला
2. महावीर प्रसाद पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. श्रवण कुमार पुत्र दानाराम जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. भगवानाराम पुत्र बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. खेल स्टेडियम जरिये राजकीय उच्च मा० विधालय साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
6. शांखा प्रबंधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रमीण वैंक शांखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. शांखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शांखा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

उपस्थित :–

1. श्री राजेश सांकरोत़ अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी सं. 1

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता स० 1868 के खसरा नं. 3833/1627 तादादी 1.0085 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। यही विवादित कृषिभुमि है तथा खाता स० 1867 के खसरा नं. 3847/3834 तादादी 0.7555 हैक्टेयर अप्रार्थी सख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉड व खाता सं० 1869/420 के खसरा नं. 3832/1627 तादादी 1.0085 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी सं० 3 के नाम दर्ज राजस्व रिर्कोड है, खाता सं० 732 के कुल खसरे 3 में से खसरा नं. 1628/1158 तादादी 4.0338 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी सं० 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉड है खाता सं० 1 के खसरा नं. 3553/2386 तादादी 1.0242 हैक्टेयर गै.मु आबादी व खाता सं० 1553 के खसरा नं. 2385/1156 तादादी 2.2761 हैक्टेयर अप्रार्थी सख्या 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉड है व यही विवादित कृषिभूमि है। विवादित कृषिभूमि में खसरा नं. 3553/2386 तादादी 1.0242 हैक्टेयर गै. मु. आबादी के नाम दर्ज है जिसकी लैण्ड होल्डर राज, सरकार है। कृषिभूमि रोही मोजा साहवा में स्थित है। उपरोक्त कृषिभूमि में पडोसी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के साथ हमेशा सींव वाबत प्रार्थी के साथ झगडा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपने खसरा नं. 3833/1627 तादादी 1.0085 हैक्टेयर भूमि के चारों ओर बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता ना ही अपने खेत को सुधार सकता है उक्त अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ने प्रार्थी की करीब आधी से ज्यादा भुमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 एलानियां धमकी देते है कि हम उक्त आधी से ज्यादा भुमि पर तुम्हे वापिस कदम नहीं रखने देगें। प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषिभूमि के चारो और निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता

Rajendra

है जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषिभूमि की पैमाईश करवाकर पत्थर गढ़ी करवाने के कानुनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को लिखित में विवादित भुमि का सीमा ज्ञान करवाने का प्रार्थना–पत्र दिया व कहा कि उक्त कृषिभूमियों की पैमाइश करवाई जाकर सीमा ज्ञान करवाने परन्तु अप्रार्थी सं. 1 आना कानी करता रहा है व अब दिनांक 03.04.2025 को अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि उक्त खसरा की भुमि के पड़ोसी सहखातेदारों की कृषिभूमि काश्त की हुई है व अन्य खसरे कमशः खसरा नं. 3553/2386 तादादी 1.0242 हैक्टेयर गैर मुमकीन आबादी दर्ज है इसलिये न्यायालय के आदेश होने पर ही उक्त कृषिभूमि की पैमाईश व पत्थर गढ़ी करेंगें प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारिख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जावे कि अनुभवी राजस्व कर्मियो की टीम गठित कर कृषिभूमि रोही मौजा साहवा के खाता सं. 1868 के खसरा नं. 3833/1627 तादादी 1.0085 हैक्ट. भूमि की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही देकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। आपकी अतिं कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 को जारी नोटिस प्राप्त होने और रूक–रूक कर आवाज लगाये जाने के बावजूद उक्त अप्रार्थीगण ना ही तो असालतन एव ना ही वकालतन उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण सं. 2 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि रोही मौजा साहवा के खाता सं. 1868 के खसरा नं. 3833/1627 तादादी 1.0085 हैक्ट. के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि रोही मौजा साहवा के खाता सं. 1868 के खसरा नं. 3833/1627 तादादी 1.0085 हैक्ट. भूमि का सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 04-11-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)